रजिस्ट्री सं. डी. एल. -33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 518] नई दिल्ली, सोमवार, मई 22, 2006/ज्येष्ठ 1, 1928
No. 518] NEW DELHI, MONDAY, MAY 22, 2006/JYAISTHA 1, 1928

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2006

का. आ. 780 (अ).—दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री जे. पी. सिंह की अध्यक्षता में गठित अधिकरण, जिसको विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(1) के अंतर्गत न्यायनिर्णय करने संबंधी मामला भेजा गया था कि संगमों नामश: मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों अर्थात् पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए), रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रन्ट (आरपीएफ), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट (यूएनएलएफ), पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पीआरईपीएके), कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (केसीपी), कांगली याओल कानबा लुप (केवाईकेएल) और मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रन्ट (एमपीएलएफ) को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं, के आदेश को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(4) के अंतर्गत आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

माननीय न्यायमूर्ति श्री जे.पी.सिंह, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण की रिपोर्ट।

मणिपुर के निम्नलिखित मैतई उग्रवादी संगठनों अर्थात्: **[(I) पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी.एल.ए); (II) रिबोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर.पी.एफ); (III) यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट (यू.एन.एल.एफ); (IV) पीपल्स रेबोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी.आर.ई.पी.ए.के.) और इसके सशस्त्र अंग, "रेड आर्मी"; (V) कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.) और इसके सशस्त्र अंग जिन्हें "रेड आर्मी" भी कहा जाता है। (VI) कांग्ली याओल कानबा लुप (के.वाई.के.एल.); और (VII) मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रन्ट (एम.पी.एल.एफ.) को विधिविरूद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत विधिविरूद्ध संगम घोषित किए जाने**

के मामले में :

1. भारत सरकार, ने विधिविरूद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम,. 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके बाद 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैतई उग्रवादी संगठनों, अर्थात् (I) पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी.एल.ए); (II) रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर.पी.एफ); (III) यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट (यू.एन.एल.एफ); (IV) पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी.आर.ई.पी.ए.के.) और इसके सशस्त्र अंग, "रेड आर्मी"; (V) कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.) और इसके सशस्त्र अंग जिसे "रेड आर्मी" भी कहा जाता है। (VI) कांग्लीयाओल कानबा लुप (के.वाई.के.एल.); और (VII) मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रन्ट (एम.पी.एल.एफ.) (जिन्हें इसमें इसके बाद 'मैतई उग्रवादी संगठन' कहा गया है) को अपनी दिनांक 13.11.2005 की अधिसूचना के तहत विधिविरूद्ध संगम घोषित किया था। यह कहा गया है कि मैतई उग्रवादी संगठन भारत से अलगाव का प्रचार करना जारी रखे हुए हैं। इनका घोषित उद्देश्य मणिपुर राज्य को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र मणिपुर राष्ट्र का गठन करना है। ये संगठन अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सशस्त्र साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। सुरक्षा बल उनका मुख्य लक्ष्य बने हुए हैं। ये संगठन अपने गुटों के लिए निधियां इकट्ठा करने के लिए डराने धमकाने, जबरन धन ऐंठने तथा आम जनता से लूटपाट करने के कृत्यों में भी शामिल रहे हैं। ये अपने अलगाववादी उद्देश्य को हासिल करने के प्रयोजन से जनमत को प्रभावित करने तथा शस्त्रों एवं प्रशिक्षण के रूप में उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए विदेशों में अपने सम्पर्क स्थापित करने के प्रयास भी करते रहे हैं। केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि यदि मैतई उग्रवादी संगठनों की विधिविरूद्ध गतिविधियों पर तत्काल अंकुश तथा नियंत्रण नहीं लगाया गया तो उन्हें निम्नलिखित के अवसर प्राप्त हो जाएंगे :-

(क) अपनी अलगाववादी, विध्वंसकारी, आतंकवादी एवं हिंसक गतिविधियों को तेज करने के लिए अपने काडरों को एक जुट करना;

(ख) भारत की संप्रभुता तथा अखंडता के लिए हानिकर ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का विस्तार करना ;

(ग) आम नागरिकों की हत्याओं में वृद्धि करना तथा पुलिस और सुरक्षा बल कर्मिकों को निशाना बनाना;

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार से अधिक मात्रा में अवैध शस्त्रों एवं गोलाबारूद प्राप्त करना तथा जुटाना;

(ङ) अपनी विधिविरूद्ध गतिविधियों के लिए जनता से बड़ी तादात में जबरन धन एंठना तथा निधियां इकट्ठी करना।

2. केन्द्र सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उक्त संगठन निम्नलिखित आधारों पर विधिविरूद्ध संगम हैं:-

"(i) मणिपुर को भारत से अलग करने की नीति को अपनाना जारी रखना।

(ii) भारत की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में संलिप्तता जारी रखना।

(iii) अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साधनों के तौर पर सशस्त्र कार्रवाई के माध्यम से हिंसा और भय बनाए रखना।

(iv) व्यवसायियों, व्यापारियों और यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों सहित जनता से अत्यधिक अवैध कर-वसूली और जबरन धन-वसूली करना।

(v) अन्य पूर्वोत्तर विद्रोही गुटों के साथ संपर्क रखना और उन्हें समर्थन देना और पड़ौसी देशों के साथ संपर्क रखना।

(vi) गुप्त माध्यमों द्वारा या विभिन्न सुरक्षा बलों से छीनकर बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हथियारों और गोलाबारूद का प्रापण।

(vii) मणिपुर को भारत से अलग करने के अपने मूल लक्ष्य के प्रति समर्थन जुटाने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक अपनी पहुंच बनाने और उनका इस्तेमाल करने के उद्देश्य से अनरीप्रिजेंटेड नेशन्स और पीपुल्स आरगेनाइजेशन की सदस्यता प्राप्त करने का प्रयास करना।"

3. उक्त कारणों के आधार पर केन्द्र सरकार का यह मत था कि मैतई उग्रवादी संगठनों की उक्त गतिविधियां भारत की संप्रभुता तथा अखंडता के लिए हानिकर हैं तथा इन्हें दिनांक 13.11.2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1594 (अ) के द्वारा विधिविरूद्ध संगम घोषित किया गया था।

4. गृह मंत्रालय ने, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 7 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1727 (अ) के तहत यह न्याय निर्णय करने के लिए इस अधिकरण का गठन किया कि क्या उक्त संगठनों (मैतई उग्रवादी

संगठनों) को विधिविरूद्ध संगम घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं तथा इस अधिनियम की धारा 4 (1) के उपबंध के अंतर्गत इस अधिकरण को पत्र लिखा।

5. अधिकिरण ने इस अधिनियम की धारा 4 (2) के उपबंध के अनुसरण में दिनांक 14.12.2005 के आदेश के तहत उक्त संगठनों को इस संबंध में एक कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि वे इस नोटिस की तामिली की तारीख से तीस दिन के भीतर लिखित में यह बताएं कि क्यों न उक्त संगठनों को विधिविरूद्ध संगम घोषित कर दिया जाए। अधिकरण ने यह भी निदेश दिया कि उक्त संगठनों को नोटिस की तामिली निम्न तरीकों से की जाए :-

(i) उक्त संगमों को नोटिसों की तामीली उनके प्रधान कार्यालयों यदि कोई हों, के मुख्य भाग पर नोटिस की प्रति चिपकाकर की जाए।

(ii) मैतेई उग्रवादी संगठना कों दैनिक समाचार पत्रों, एक अंग्रेजी के तथा एक स्थानीय भाषा के क्षेत्र स्थानीय समाचार पत्र, जिसका परिचालन मणिपुर तथा बाहरी राज्यों जहाँ इन संगठनों के ठिकाने हैं या इनकी उपस्थिति है, में होता हो, प्रकाशन द्वारा भी नोटिसों की तामील की जानी चाहिए।

(iii) ऐसे क्षेत्र जहाँ संगठन की गतिविधियां चल रही हों वहां पर नोटिसों की तामीली ढोल बजाकर तथा लाउडस्पीकरों द्वारा उद्घोषणा करके की जानी चाहिए।

(iv) मैतई उग्रवादी संगठनों के पदाधिकारियों को उनके पतों पर नोटिस दिए जाने चाहिए अथवा यदि वे नजरबंद हों तो संबंधित अधीक्षक (जेल) द्वारा एवं दो राष्ट्रीय समाचारपत्रों एक अंग्रेजी तथा एक क्षेत्रीय भाषा के प्रमुख स्थानीय समाचारपत्र जिसका मणिपुर राज्य में परिचालन होता हो, में प्रकाशन द्वारा नोटिस जारी किए जाने चाहिए।

(v) आकाशवाणी पर घोषणा करके तथा मणिपुर राज्य में स्थानीय प्रसारण एवं ट्रान्समिशन केन्द्रों द्वारा दूरदर्शन पर प्रसारण द्वारा; तथा

(vi) जिला अथवा तहसील मुख्यालयों में प्रत्येक जिला न्यायाधीश/तहसीलदार के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर नोटिस चिपकाकर भी इनकी तामीली की जानी चाहिए।

6. अधिकरण ने अधिकरण के पंजीयक को भी नोटिसों की तामीली का पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया। पंजीयक द्वारा नोटिसों की तामीली संबंधी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी। मणिपुर राज्य तथा भारत संघ द्वारा भी नोटिसों की तामीली संबंधी शपथपत्र दायर किए गए थे।

7. अधिकरण, रिकार्डों में उपलब्ध सामग्री तथा अधिकरण के पंजीयक की रिपोर्ट से इस बारे में संतुष्ट हो गया है कि विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) नियम 1968 के नियम 6 में अधिकरण द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार उक्त संगठनों को उपयुक्त ढंग से नोटिसों की तामीली कर दी गई है। उक्त संगठनों हेतु या उनकी ओर से न तो कोई व्यक्ति उपस्थित हुआ है और न ही इन नोटिसों के प्रत्युत्तर में कोई कारण बताया गया है।

8. साक्ष्य के रूप में गृह मंत्रालय के निदेशक श्री आर.आर.झा सहित श्री पी डोंगल, श्री ओ. मधुमंगोल सिंह, श्री खुंडराकप्पम धानेश्वर सिंह, श्री ए.के.झलजीत सिंह, श्री नगानगोम यैशकुल सिंह, डब्ल्यू धनंजॉय सिंह, श्री ऐंलंगबम जॉय सिंह, मोहम्मद अब्दुल जलील तथा मोहम्मद अनवर हुसैन के शपथपत्र भी प्रस्तुत किए गए थे।

9. अधिकरण की अगली बैठक 21,22,23 मार्च, 2006 को मेघालय राज्य के शिलांग में आयोजित की गई। दिनांक 21, मार्च, 2006 को पी डब्ल्यू-I श्री पी. डोंगल, पी डब्ल्यू-2 श्री ओ मधुमंगोल सिंह, पी डब्ल्यू-3 श्री खुंद्रकपम धनेश्वर सिंह, पी डब्ल्यू-4 श्री ए.के.झलजीत सिंह, पी डब्ल्यू-5 श्री गनगोम यैशकुल सिंह, पी डब्ल्यू-6 डब्ल्यू धनंजय सिंह, पी डब्ल्यू-7 श्री एलंगबम जॉय सिंह, पी डब्ल्यू-8 मोहम्मद अब्दुल जलील और पी डब्ल्यू-9 मोहम्मद अनवर हुसैन से की गई खास-खास पूछताछ रिकार्ड की गई थी। गवाहों से जिरह के लिए मैतई संगठनों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

10. **मैतई** संगठनों को एक मौका और देने के लिए अधिकरण की सुनवाई 22 मार्च, 2006 को पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। फिर भी प्रति-परीक्षण के लिए मणिपुर के मैतई संगठनों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए गवाहों को मुक्त कर दिया गया।

11. **मैतई** संगठनों को पुनः अवसर देने के लिए 09 और 10 मई, 2006 को दिल्ली उच्च न्यायालय में साक्ष्य और जिरह निर्धारित की गई और तारीख, समय और स्थान का पर्याप्त प्रचार किया गया। श्री पी.डोंगल को पुनः बुलाया गया। श्री आर.आर.झा, निदेशक, गृह मंत्रालय से पूंछताछ की गई किन्तु उनकी जिरह के लिए उक्त संगठनों से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए जिरह बंद कर दी गई और साक्ष्य का निष्पादन कर दिया गया।

12. भारत संघ के विद्वान वकील श्री अनिल नाग और मणिपुर राज्य के विद्वान वकील श्री नोबिन सिंह से तर्क सुने गए। दोनों विद्वान वकीलों ने अपेक्षित घोषणा और दिनांक 13.11.2005 की अधिसूचना की पुष्टि के लिए अनुरोध किया है।(सुप्रा)

13. मैंने रिकार्ड में रखे गए सभी दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया है और भारत संघ तथा मणिपुर राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक साक्ष्यों की भी जांच की है।

14. श्री पी डोंगेल, विशेष सचिव (गृह), मणिपुर सरकार पी डब्ल्यू-I के रूप में पेश हुए। उन्होंने बताया कि उनके दो शपथ पत्र कार्यालय रिकार्डों और मणिपुर सरकार के विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना पर आधारित थे। उन्होंने यह भी बताया कि वह विशेष सचिव (गृह) मणिपुर सरकार हैं और पीपुल्स लिब्रेशनस (पीएलए), पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लेपाक (पीआरईपीएके), यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट (यूएनएलएफ), कांग्लेपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (केसीपी) और मणिपुर पीपुल्स लिब्रेशन फ्रंट (एमपीएलएफ) नामक **मैतई** संगठनों की गतिविधियों से संबंधित मामलों को देखते हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि पी डब्ल्यू-I/क के रूप में उन्होंने 01.02.2006 को दायर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने शपथ पत्र के साथ एफआईआर की प्रतियां, उग्रवादी संगठनों के सदस्यों से बरामद दस्तावेज और अखबारों की क्लीपिंग जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। इन दस्तावेजों की प्रतियां पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (विशेष शाखा) द्वारा विधिवत

सत्यापित प्रतियां हैं। उसने बताया कि वह पिछले कुछ वर्षों से पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (विशेष शाखा) के साथ कार्य कर रहा था और उसने उन्हें पत्रों एवं दस्तावेजों को लिखते एवं हस्ताक्षर करते देखा है और उनके हस्ताक्षरों की पहचान की है।

15. उसने पेज 19 से 1769 तक पी डब्ल्यू-I/ बी (सामूहिक रूप से) के रूप में प्रदर्शित प्रथम सूचना रिपोर्टों तथा (पेज 1772 से 1788 तक) एक्स पी डब्ल्यू-I/सी-1 के रूप में प्रदर्शित प्रथम सूचना रिपोर्टों की सूची की प्रतियों तथा इस संगठन द्वारा किए गए अपराधों के विवरणों/संक्षिप्त विवरणों संबंधी दस्तावेजों जिन्हें ई एक्स.पी.डब्ल्यू-1/डी-1 से डी-6 (सामूहिक रूप से) (पेज 1789 से 1862) तक प्रदर्शित किया गया है को सिद्ध किया है, इन संगठनों से जब्त साहित्य, पर्चों आदि जैसे दस्तावेजों की प्रतियाँ जिन्हें ई एक्स.पी.डब्ल्यू-1/ई-1 से ई-5 (सामूहिक रूप से) (पेज 1863 से 2096) तक प्रदर्शित किया गया है, अन्तिम दस्तावेज इन संगठनों के बारे में अखबारों की वे कतरने हैं जिन्हें ई एक्स.पी.डब्ल्यू-1/एफ-1 से एफ-5(सामूहिक रूप से) (पेज 2097 से 2128) तक प्रदर्शित किया गया है।

16. उसने आगे बताया कि उसे बी एस एफ, एस आई बी, सी आर पी एफ आदि जैसे अन्य संगठनों से आसूचना रिपोर्टें प्राप्त होती रहतीं थीं। संबंधित प्राधिकारियों से ऐसी रिपोर्टें प्राप्त होने के पश्चात समुचित एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए कुछ जानकारी केन्द्रीय सरकार को तथा तथा कुछ स्थानीय पुलिस थाने को भेजी जाती थीं। उसने साक्ष्य दिया कि इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य भारत संघ से अलग होना और एक आजाद देश /राज्य स्थापित करना है। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये संगठन हत्या, अपहरण, धन उगाही आदि में लगे हैं और स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों का बहिष्कार करने का आहवान करते हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आदि जैसे राष्ट्रीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों/अधिकारियों के दौरे के दौरान वे 'बंद' का आहवान करते हैं और वे इन गणमान्य व्यक्तियों के नाम पर आयोजित उत्सवों का बहिष्कार करते हैं और उनको उड़ाने के लिए सुरंगें बिछाते हैं।

17. यह बताया गया कि यदि इन संगठनों को 'विधिविरुद्ध' संगम के रूप में घोषित नहीं किया जाता है तो वे सरकारी कार्य करने, व्यवसाय चलाने, शिक्षण कार्य आदि में बाधा डालकर कानून एवं

व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकते हैं। उपर्युक्त के मद्देनजर इन संगठनों को विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित किया जाना अपेक्षित हैं। उसने अनुरोध किया कि उसके हलफनामें को साक्ष्य के एक भाग के रूप में पढ़ा जाए।

18. श्री ओ. मधुमंगल सिंह पी. डब्ल्यू-2 के रूप में आए। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना शपथपत्र दायर किया है जो दिनांक 18.2.2006 के ई एक्स.पी डब्ल्यू-2/ए (सामूहिक रूप से) के रूप में है, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि उनके शपथपत्र को साक्ष्य के भाग के रूप में पढ़ा जाए।

19. श्री खुन्द्रक्पम धनेश्वर सिंह पी डब्ल्यू-3 के रूप में उपस्थित हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना हलफ़नामा दायर किया है जो प्रदर्श पी डब्ल्यू-3/ए (सामूहिक) पर है, उस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने निवेदन किया कि उनका हलफ़नामा साक्ष्य के भाग के रूप में पढ़ा जाय।

20. श्री ए.के. झल्जेत सिंह पी डब्ल्यू-4 के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना हलफनामा दाखिल किया है, जो प्रदर्श पी डब्ल्यू-4/ए (सामूहिक) पर है, उस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने निवेदन किया कि उनका हलफ़नामा साक्ष्य के भाग के रूप में पढ़ा जाय।

21. श्री गंगोम यैश्कुल सिंह पी डब्ल्यू-5 के रूप में उपस्थित हुए हैं। उन्होंने बयान किया कि उन्होंने हलफ़नामा दाखिल किया है जो प्रदर्श पी डब्ल्यू-5 (सामूहिक) पर है, उस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने निवेदन किया कि उनका हलफ़नामा साक्ष्य के भाग के रूप में पढ़ा जाय।

22. श्री धनंजॉय सिंह पी डब्ल्यू-6 के रूप में उपस्थित हुए हैं। उन्होंने बयान किया कि उन्होंने हलफ़नामा दाखिल किया है जो प्रदर्श पी डब्ल्यू-6/ए (सामूहिक) पर है, उस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने निवेदन किया कि उनका हलफ़नामा साक्ष्य के भाग के रूप में पढ़ा जाय।

23. श्री एलंगम जॉय सिंह पी डब्ल्यू-7 के रूप में उपस्थित हुए हैं। उन्होंने बयान किया कि उन्होंने हलफ़नामा दाखिल किया है, जो प्रदर्श पी डब्ल्यू-7/ए (सामूहिक) पर है,.उस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने निवेदन किया कि उनका हलफ़नामा साक्ष्य के भाग के रूप में पढ़ा जाय।

24. मोहम्मद अब्दुल जलील पी डब्ल्यू-8 के रूप में उपस्थित हुए हैं। उन्होंने बयान किया है कि उन्होंने हलफ़नामा दाखिल किया है, जो प्रदर्श पी डब्ल्यू-8/ए (सामूहिक) पर है, उस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने निवेदन किया कि उनका हलफ़नामा साक्ष्य के भाग के रूप में पढ़ा जाय।

25. मोहम्मद अनवर हुसैन पी डब्ल्यू-9 के रूप में उपस्थित हुए हैं। उन्होंने बयान किया है कि उन्होंने हलफ़नामा दाखिल किया है, जो प्रदर्श पी डब्ल्यू-9/ए (सामूहिक) पर है, उस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने निवेदन किया कि उनका हलफ़नामा साक्ष्य के भाग के रूप में पढ़ा जाय।

26. श्री आर.आर. झा, निदेशक, गृह मंत्रालय भी पी डब्ल्यू-10 के रूप में कठघरे में उपस्थित हुए। उन्होंने 27.1.2006 तथा 21.2.2006 की तारीखों के साक्ष्य-हलफ़नामे प्रस्तुत किए। वे दोनों प्रदर्श पी डब्ल्यू-10/ए और 10/बी के रूप में हैं। उन्होंने बयान किया कि ये मैतेई संगठन नागरिकों को मारने, धन ऐंठने और अपहरण जैसे अनेक विधिविरुद्ध कार्यकलापों में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे बयान किया कि इन संगठनों का स्पष्ट उद्देश्य मणिपुर को भारत से पृथक करने का है। उन्होंने बयान किया कि ये हलफ़नामे केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों, केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों और मणिपुर राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तैयार किए गए हैं। उन्होंने आगे बयान किया कि मैतेई उग्रवादी संगठनों के उल्फा (यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम), एन एस सी एन (नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड) के दोनों धड़ों आदि जैसे पूर्वोत्तर के अनेक भूमिगत संगठनों से संपर्क में हैं और वे स्वतंत्रता दिवस समारोहों तथा गणतंत्र दिवस समारोहों का बहिष्कार करते रहे हैं। वे अपनी अधिकतर निधियां, नागरिकों से जबरन धन वसूली, अपहरण, फिरौती हेतु अगवा करने आदि के जरिए जुटाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन संगठनों की गतिविधियां अभी भी जारी हैं और इसकी रिपोर्टिंग मीडिया में भी है और इस संदर्भ में उन्होंने समाचार पत्रों यथा दिनांक 25.3.2006 का 'दि सेंटीनेल', दिनांक 7.5.2006, 31.1.2006 और 2.1.2006 का दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली और दिनांक 6.1.2006 का 'दि संगाई एक्सप्रेस', साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए। उक्त को क्रमशः प्रदर्श पी डब्ल्यू-10/सी, डी और ई, एफ और जी में दर्शाया गया है। उन्होंने प्रार्थना की कि उनके हलफ़नामे को साक्ष्य के तौर पर शामिल किया जाए।

27. जैसा कि ऊपर बताया गया है, नोटिस जारी करने के बावजूद किसी भी मैतेई संगठन ने कार्यवाही के दौरान किसी भी समय उपस्थित होना आवश्यक नहीं समझा। इसलिए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का खंडन नहीं किया जा सका।

28. भारत संघ तथा मणिपुर राज्य के अधिवक्ताओं ने उन तथ्यों को उजागर किया जिनके परिणामस्वरुप केन्द्र सरकार ने धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत दिनांक 13.11.2005 की अधिसूचना जारी की। उजागर किए गए तथ्य निम्नलिखित हैं :-

मणिपुर राज्य में मैतेई जनजाति के लोगों की आबादी हैं। संख्या की दृष्टि से मैतेई समुदाय का बाहुल्य है जो कुल जनसंख्या के 66% से ज्यादा हैं और मुख्यतः इम्फाल घाटी में केन्द्रित हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में 29 जनजातियां (मुख्यतः नगा और कुकी) रहती हैं। मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र विभिन्न मैतेई उग्रवादी संगठनों मुख्यतः पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए), रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ), यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यूएनएलएफ), पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पीआरईपीएके), कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी), कांगलई याओल कंबालुप (केवाईकेएल) और मणिपुर पीपुल्स लिब्रेशन फ्रंट (एमपीएलएफ) की विध्वंसकारी गतिविधियों से प्रभावित हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन) से सम्बद्ध नागा उग्रवादियों और कुकी उग्रवादियों की गतिविधियों से प्रभावित हैं।

29. मैतेई संगठन, बड़ी संख्या में हिंसक घटनाओं और हथियारबंद लूट के लिए जिम्मेवार हैं जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों तथा पुलिस कार्मिकों ने अपनी जान गंवायी हैं। यह उग्रवादी, बैंकों से रुपए लूटने और व्यवसायियों, व्यापारियों, अन्य नागरिकों यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों से बड़ी मात्रा में जबरन धन वसूली भी कर रहे हैं। मैतेई उग्रवादियों की हिंसक गतिविधियों ने खतरनाक रूप ले लिया था तथा इंफाल घाटी को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत सितम्बर 8, 1980 से 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर दिया गया था। सुरक्षा बलों तथा पुलिस द्वारा गहन तलाशी अभियान प्रारंभ किए गए थे। चार मैतेई उग्रवादी संगठनों नामशः पीएलए, यूएनएलएफ, प्रीपाक तथा के.सी.पी. जो "मणिपुर की स्वतंत्रता" के अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, विशेषरूप से मणिपुर राज्य के घाटी क्षेत्रों में हत्या, लूट, धमकी आदि जैसी विधिविरुद्ध हिंसक घटनाओं में संलिप्त

थे, को 26 अक्तूबर, 1979 को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 (1) के तहत 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित कर दिया गया। एमपीएलएल को अन्य मैतेई उग्रवादी संगठनों के साथ-साथ 13 नवम्बर, 1999 को 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित किया गया था।

30. दिनांक 13.11.2003 के का.आ. 1302 (अ) के द्वारा एक अंतिम अधिसूचना जारी की गई थी। माननीय न्यायाधीश श्री सी.के. महाजन, न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय की अध्यक्षता वाले अधिकरण को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया था तथा विद्वान अधिकरण ने भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.11.2003 को जारी अधिसूचना की पुष्टि की थी।

31. दोनों विद्वान अधिवक्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मैतेई उग्रवादी संगठन निरंतर भारत से पृथकतावाद का प्रचार कर रहा है। भारत से मणिपुर राज्य को पृथक करके स्वतंत्र मणिपुर का गठन करना ही उनका घोषित उद्देश्य है। ये संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सशस्त्र साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। सुरक्षा बल उनके मुख्य निशाने पर होते हैं। ये संगम अपने संगठनों हेतु धन एकत्र करने के लिए धमकी, फिरौती तथा आम नागरिकों को लूटने जैसे कार्यों को करने में संलिप्त हैं। ये संगम अपने पृथकतावादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जनमत को प्रभावित करने तथा शस्त्रों एवं प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए विदेशों में भी संबंध स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं।

32. इन उग्रवादी संगठनों द्वारा की जा रही हिंसक घटनाओं का विवरण निम्नलिखित हैं :

वर्ष	कुल घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	मारे गए सुरक्षा बल
1999	230	138	63
2000	185	116	41
2001	190	69	18
2002	172	77	34
2003	172	70	23
2004	262	80	37
2005 (15 नवम्बर, 2005 तक)	208	77	35

33. प्रति वर्ष ये संगम गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय दिवसों का बहिष्कार करते हैं। हिंसा के अलावा, ये संगम आम जनता से जबरन धन छीनने, राज्य के संविदाकर्ताओं, अधिकारी वर्ग, राजनैतिक हस्तियों को धमकाकर राज्य के विकास के लिए निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकारी निधियों को छीनने के कार्य में लगे हुए हैं। इसके अलावा ये भूमिगत संगठन मणिपुर की भू-भागीय अखण्डता के संरक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर आंदोलनकारी कार्य करके संकुचित मैतेई संगठनों को सहायता दे रहे हैं। मैतेई गुटों द्वारा शुरू किए गए अभियान से राज्य में विभिन्न समुदायों के बीच की दूरी बढ़ी है।

34. यूएनएलएफ ने मणिपुर के लोगों से यह अपील की थी कि वे अप्रैल-मई, 2004 में होने वाले, 14वीं लोक सभा के चुनावों का बहिष्कार करें। एमपीएलएफ ने 15 अक्तूबर, 2004 को एक आम हड़ताल का प्रस्ताव किया था ताकि 55 वर्ष पूर्व मणिपुर को भारत संघ के साथ कथित रूप से बलपूर्वक मिलाए जाने का विरोध किया जा सके और 15 अक्तूबर, 2004 को राष्ट्रीय काला दिवस मनाया जा सके। एमपीएलएफ ने भूटान में भूटान की शाही सेना द्वारा कामतापुर लिब्रेशन आर्गनाइजेशन (केएलओ), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) और यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (यूएलएफए) के विरुद्ध शुरू किए गए सैन्य अभियान के खिलाफ 12 घंटे की आम हड़ताल का भी आह्वान किया। पिछले वर्षों की तरह एमपीएलएफ और पूर्वोत्तर के कुछ अन्य भूमिगत संगठनों ने 15 अगस्त, 2005 को स्वतंत्रता दिवस समारोहों का बहिष्कार किया था।

35. 26 जनवरी, 2005 को गणतंत्र दिवस समारोहों के दौरान यूएनएलएफ ने आम हड़ताल का आह्वान किया और गणतंत्र दिवस समारोहों का बहिष्कार किया। यूएनएलएफ ने 26 जनवरी, 2005 को रिमोट कंट्रोल के इस्तेमाल से दो इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के विस्फोट किए। दिनांक 16 फरवरी, 2005 को कुंबी लीरक ओचुबा में घात लगाकर हमला किया गया जिसमें केवाईकेएल राइफल्स पेट्रोल पार्टी और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

36. मैतेई उग्रवादी संगठनों ने एक-दूसरे के साथ और पूर्वोत्तर में अन्य उग्रवादी संगठनों के साथ भी निकट संबंध बनाए हुए हैं। पीएलए/आरपीएफ ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन) के इसाक मुइवाह गुट के साथ निकट संपर्क स्थापित किया हुआ है। यूएनएलएफ ने

एनएससीएन के खापलांग गुट और कुकी नेशनल आर्मी के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। केवाईकेएल को केसीपी, पीआरईपीएके और यूएनएलएफ (ओकन गुट) से समर्थन प्राप्त होता है। यूएनएलएफ और एनएससीएन (के) द्वारा 1990 में स्थापित इंडो-बर्मा रिवोल्यूशनरी फ्रंट (आईबीआरएफ) में यूएनएलएफ के भी हस्ताक्षर हैं। आईबीआरएफ का उद्देश्य था भारतीय सुरक्षा बलों के साथ संयुक्त रूप से लड़ना। हालांकि आईबीआरएफ ज्यादा प्रभावी नहीं रहा है फिर भी इसने यूएनएलएफ और यूएलएफए के संवर्गों को प्रशिक्षण दिया है। केवाईकेएल और आईबीआरएफ एक व्यापक संगठन हैं जो प्रचालनात्मक मामलों में सहयोग के लिए विद्रोही गुटों को मंच मुहैया कराता है।

37. पीएलए/आरपीएफ, यूएनएलएफ, पीआरईपीएके, केसीपी और केवाईकेएल के पड़ोसी देशों अर्थात बंगलादेश और म्यांमार में शिविर हैं। ये चीन और थाइलैंड के साथ-साथ इन देशों से हथियार और गोलाबारूद प्राप्त कर रहे हैं। इन उग्रवादी संगठनों के सदस्य अपनी अलगाववादी और हिंसक गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। वे विधि विरुद्ध क्रियाकलापों के लिए सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से विदेशी तत्वों के साथ संबंध स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के सतत प्रयास भी करते रहे हैं। सम्पूर्ण साक्ष्य को कहीं चुनौती नहीं दी गई है।

38. यह तर्क दिया जाता है कि मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित किए जाने का औचित्य यह है कि मैतेई उग्रवादी संगठन अत्यधिक सक्रिय हैं और यह महसूस किया गया कि यदि पूर्व अधिसूचना तथा नवीन अधिसूचना जारी करने के बीच कोई अन्तराल हुआ तो ये संगठन हालात का अनुचित फायदा ले सकते हैं और अलगाववाद विस्फोटक, आतंकवादी और हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने काडरों को सक्रिय कर सकते हैं। इससे इन संगठनों के नेताओं को भारत की सुरक्षा के प्रति द्वेषभाव वाली विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर देशद्रोही क्रियाकलापों का खुलकर प्रचार करने का मौका भी मिलेगा। इन हालातों में पुलिस और सुरक्षा बलों को उनके द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को हिरासत में रखने एवं उन पर अभियोग लगाने में दिक्कत आएगी। अतः इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू करना जरूरी समझा गया था।

39. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए पूर्व अधिसूचना की वैधता समाप्त होने के पश्चात मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों को विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3(3) के परन्तुक के साथ पठित धारा 3 (1) के अन्तर्गत 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित करना जरूरी समझा

गया। विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों को विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत दिनांक 13.11.2005 से 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित किया गया है और इस घोषणा को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। इस संबंध में दिनांक 13.11.2005 को जारी अधिसूचना सं. का.आ. 1594 (अ) की एक प्रति फाइल में है।

40. ऊपर यथावर्णित प्रस्तुत साक्ष्य विशिष्ट एवं काफी बड़ा है। इसमें सैकड़ों पंजीकृत मामलों और किए गए अपराधों का वर्णन है। ये सभी साक्ष्य ठोस हैं। प्राकृतिक न्याय की जरूरत का भी पूरा पालन किया गया है क्योंकि कार्यवाही में भाग लेने के लिए, ऊपर पैरा 4 में यथा वर्णित, मणिपुर के मैतेई संगठनों को नोटिस की विधिवत तामील की गई थी परन्तु इसके बावजूद मैतेई उग्रवादी संगठनों का कोई व्यक्ति कार्यवाही के किसी भी स्तर पर उपस्थित नहीं हुआ।

41. पिछले अधिकरणों ने मामले पर विचार करने के पश्चात उक्त संगठनों के क्रियाकलापों को समय-समय पर विधिविरुद्ध घोषित किया है। जिन आधारों पर, उक्त संगम (एसोसिएशन) विधिविरुद्ध घोषित किए गए थे, वे लगभग वैसे ही थे, जैसे दिनांक 13.11.2003 और 13.11.2005 की अधिसूचना के समय थे। नवीनतम अधिसूचना इस अधिकरण को इस न्याय निर्णय के लिए भेजी गई थी कि क्या रिकार्ड की गई सामग्री के आधार पर मैतेई उग्रवादी संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं।

42. प्रतिबंधित संगठनों को ऊपर यथा उल्लिखित अनेक नोटिस भेजे जाने के बावजूद मैतेई संगठन उपस्थित नहीं हुए। अतः मणिपुर राज्य और भारत संघ द्वारा प्रस्तुत सामग्री का खंडन का कोई साक्ष्य नहीं है।

43. दोनों विद्वान अधिवक्ताओं ने माना कि अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सामग्री और गवाहों के बयान यह सिद्ध करते हैं कि इन संगठनों के कार्यकलाप अधिनियम की धारा 2 (ण) में दी गई शर्तों के अनुरूप विधिविरुद्ध हैं और उक्त संगम अधिनियम की धारा 2 (त) में दी गई शर्तों के अनुरूप विधिविरुद्ध हैं। यह तर्क दिया गया कि हथियारों का विधिवत अधिग्रहण, धन उगाही, हत्या, एक

स्वतंत्र सम्प्रभु राज्य की स्थापना का उद्देश्य निःसंदेह यह व्यक्त करता है कि मैतेई संगठनों का इरादा भारत की क्षेत्रीय एकता और सम्प्रभुता को नष्ट करना है। यह बताया गया कि यह प्रतिबंधित संगठनों के साथ मिल कर भारत के विरुद्ध युद्ध आरंभ करने का एक षड्यंत्र है। संगत अवधि में 5 खंडों में सैंकड़ों प्राथमिकियों का उल्लेख किया गया है और छठें खंड में अन्य विवरण दिए गए हैं, हलफनामे, अन्य दस्तावेज, समाचार पत्रों की कतरनें, पर्चे और धमकी भरे पत्र; जबरन धन वसूलने, काडरों की नियुक्ति, पृथक सेना बनाने, सशस्त्र घात लगाने, हत्या, नियमित सरकार के समानान्तर प्रशासन चलाने और पृथक देश के लिए आह्वान करने के दृश्य का प्रथम दृष्टया वर्णन करते हैं। इसके अलावा यह बताया गया है कि उक्त संगठनों की भारत के संविधान में कोई निष्ठा नहीं है और वे भारत संघ से पृथक होना चाहते हैं। मैतेई संगठनों द्वारा प्रकाशित सामग्री आपत्तिजनक है और इसका उद्देश्य भारत के प्रति दुर्भावनापूर्ण जानकारी और असंतोष फैलाना है।

44. भारत संघ और मणिपुर राज्य के लिए सभी साक्ष्य और विद्वान अधिवक्ताओं के जिरह का कोई विरोध नहीं हुआ उक्त संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के आधारों को कोई चुनौती नहीं दी गई और अविवादित रहे तथा कार्यवाहियां एक पक्षीय रहीं।

45. भारत सरकार तथा मणिपुर राज्य के अधिवक्ताओं के अकाट्य तर्कों, सभी तथ्यों और परिस्थितियों, स्वीकार्य प्रचुर साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि मैतेई उग्रवादी संगठनों यथा (i) दि पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए), (ii) रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ), (iii) यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यूएनएलएफ), (iv) पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पीआरईपीएके) तथा इनकी संबद्ध इकाई "रेड आर्मी", (v) कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (केसीपी) तथा इसकी सम्बद्ध इकाई जिसे 'रेड आर्मी' भी कहते हैं, (vi) कांगलइ याओल केवा लुप (केवाईकेएल) और (vii) मणिपुर पीपुल्स लिब्रेशन फ्रंट (एमपीएलएफ) को दिनांक 13.11.2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1594 (अ) के तहत विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त आधार हैं तथा एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना की पुष्टि की जाती है।

उपरोक्त वर्णित शर्तों के आधार पर यह संदर्भ उत्तरित है।

ह./-

न्यायमूर्ति जे. पी. सिंह

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

मई 12, 2006

[फा. सं. 110011/46/2005-एन. ई III]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2006

S. O. 780(E).—In terms of Section 4(4) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Order of the Tribunal presided over by Hon'ble Justice Shri J. P. Singh, Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the associations, namely the MEITEI Extremist Organizations, *viz.* Peoples' Liberation Army (PLA), Revolutionary Peoples' Front (RPF), United National Liberation Front (UNLF), Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK), Kangleipak Communist Party (KCP), Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF), of Manipur as unlawful, is published for general information.

REPORT OF THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL CONSISTING OF HON'BLE MR. JUSTICE J.P. SINGH, JUDGE, DELHI HIGH COURT.

In the matter of :

DECLARATION OF THE MEITEI EXTREMIST ORGANISATIONS OF MANIMPUR, NAMELY: (I) THE PEOPLE'S LIBERATION ARMY (PLA), (II) REVOLUTIONARY PEOPLES' FRONT (RPF), (III) UNITED NATIONAL LIBERATION FRONT (UNLF), (IV) PEOPLES' REVOLUTIONARY PARTY OF KANGLEIPAK (PREPAK) AND ITS ARMED WING THE "RED ARMY", (V) KANGLEIPAK COMMUNIST PARTY (KCP) AND ITS ARMED WING ALSO CALLED THE "RED ARMY", (VI) KANGLEI YAOL KANBA LUP (KYKL) AND (VII) MANIPUR PEOPLES' LIBERATION FRONT (MPLF) "TO BE UNLAWFUL ASSOCIATIONS" UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 3 OF THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967 (37 OF 1967).

1. Government of India in exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the 'Act') declared the MEITEI Extremist Organizations, (i) The People's Liberation

Army (PLA), (ii) Revolutionary Peoples' Front (RPF), (iii) United National Liberation Front (UNLF), (iv) Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing the "Red Army", (v) Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing also called the "Red Army", (vi) Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and (vii) Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF) (hereinafter referred as the 'MEITEI Extremist Organizations') as unlawful association vide its notification dated 13-11-2005. It is stated that the MEITEI Extremist Organizations continue to propagate secession from India. Their declared objective is formation of an independent Manipur by secession of Manipur State from India. These outfits have been engaging in armed means to achieve their objectives. The security forces remain their prime targets. These outfits have also been indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds for their organizations. They have also been making efforts to establish contacts with sources abroad for influencing public opinion and for securing their assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their secessionist objective.

The Central government is also of the opinion that if the unlawful activities of the MEITEI Extremists Organizations are not curbed and controlled immediately, they will take the opportunity of :-

(a) mobilizing their cadres for escalating their secessionist, subversive,

terrorist and violent activities;

(b) propagating anti-national activities in collusion with forces inimical to sovereignty and integrity of India;

(c) indulging in increased killings of civilians and targeting of the Police and Security Forces personnel;

(d) procuring and inducting more illegal arms and ammunitions from across the international border;

(e) extorting and collecting huge funds from the public for their unlawful activities.

2. The Central Government came to the conclusion that the said organizations were unlawful associations on the following grounds :-

"(i) Continued espousal of the policy of secession of Manipur from India;

(ii) Continued engagement in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India;

(iii) Continued adoption of violence and terror through armed as means for achieving their objective;

(iv) High levels of extortion and illegal collections from the public including businessmen, traders and even Government employees;

(v) Links and support to other North-East insurgent groups and with neighbouring countries;

(vi) Procurement of large quantities of sophisticated arms and ammunition through clandestine channels or by snatching from police and security forces;

(vii) Attempts to gain membership of the Unrepresented Nations and People's organization with the intention to accessing and utilizing various international agencies for mobilizing support towards their ultimate objective of separating Manipur from India.

3. The Central Government on the basis of the aforesaid grounds was of the opinion that the said activities of the MEITEI Extremist Organizations are detrimental to the sovereignty and integrity of India and declared so by notification No.S.O. 1594 (E) dated 13.11.2005.

4. Ministry of Home Affairs in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 constituted this Tribunal vide notification No.S.O. 1727 (E) dated 7th December, 2005 for the purpose of adjudicating whether or not there were sufficient grounds for declaring the aforesaid organizations (MEITEI Extremist Organizations) as unlawful association made reference under the provision of Section 4(1) of the Act to this Tribunal.

5. The Tribunal vide order dated 14.12.2005 in pursuance of the provision of Section 4(2) of the Act directed issue of notice to the aforesaid organizations to show cause in writing within thirty days from the date of service of such notice, as to why the said organizations should not be declared unlawful. The tribunal also directed that the notice shall also be served on the aforesaid associations in the following manner :-

(i) Copies of the notices be affixed at some conspicuous part of the offices, if any, of the above Associations;

(ii)Notice be also served on MEITEI Extremist Organizations by publication in daily newspapers, one in English and one in prominent local paper in vernacular language, which is under circulation in the locality where they have their establishments or presence as is known in the State of Manipur and outside.

(iii)By proclaiming by beat of drums or by means of loudspeakers, the contents of the notice in the area in which the activities of the Associations are ordinarily carried out;

(iv) Service be also effected on the Office Bearers of the MEITEI Extremist Organizations at their addresses or if under detention through the Superintendent (Jail) concerned and by publication of the notices in National daily newspapers one in English and one in prominent local paper in vernacular language, which is under circulation in the State of Manipur;

(v)By making announcement on All India Radio and telecasting on Doordarshan from the Local Broadcasting and Transmission Stations of the State of Manipur; and

(vi)Notice should also be served by pasting the same on the Notice Board of the Office of each District Magistrate/Tehsildar at the Headquarters of the District or Tehsil, as feasible.

6. The Tribunal also directed the Registrar of the Tribunal to supervise the service of the notice. The report of the service of the notice was also filed by the Registrar. The affidavit of the service was filed by the State of Manipur as also by the Union of India.

7. From the material placed on record as well as the report of the Registrar of the Tribunal, the Tribunal is satisfied that the notices have

been duly served on the said associations as per the directions of the Tribunal as prescribed under Rule 6 of the Unlawful Activities (Prevention) Rule, 1968. No person for or on behalf of the said organizations has made appearance, nor any cause has been shown in response to the notice.

8. By way of evidence, affidavits of Shri P.Doungel, Shri O. Madhumangol Singh, Shri Khundrakpam Dhaneshwor Singh, Shri A.K. Jhaljet Singh, Shri Ngangom Yaishkul Singh, W. Dhananjoy Singh, Shri Elangbam Joy Singh, Md. Abdul Jalil and Md. Anuwar Hussain were filed as also of Shri. R.R. Jha, Director in the Ministry of Home Affairs.

9. The next sittings of the Tribunal were held at Shillong, State of Meghalaya on 21st, 22nd & 23rd March, 2006. On 21st March, 2006 examination-in-chief of PW-1 Shri P.Doungel, PW-2 Shri O. Madhumangol Singh, PW-3 Shri Khundrakpam Dhaneshwor Singh, PW-4 Shri A.K. Jhaljet Singh, PW-5 Shri Ngangom Yaishkul Singh, PW-6 W. Dhananjoy Singh, PW-7 Shri Elangbam Joy Singh, PW-8 Md. Abdul Jalil and PW-9 Md. Anuwar Hussain were recorded. No body appeared on behalf of the MEITEI organizations to cross-examine the witnesses.

10. For affording further opportunity to the MEITEI Organizations for cross-examinations the hearing of the Tribunal was adjourned to 22nd March, 2006 at 10.30 A.M. Still no one appeared on behalf of MEITEI Organizations of Manipur to cross-examine the witnesses. The witnesses were, therefore, discharged.

11. In order to give further chance to the MEITEI organizations the matter was again fixed for evidence and cross-examination on 09th & 10th May, 2006 at Delhi High Court and adequate publicity was given for the date, time and venue. Mr. P.Doungel was recalled. Mr. R.R.Jha, Director, Ministry of Home Affairs was examined, but nobody appeared from the said organizations to cross-examine them, therefore, cross-examination was closed and evidence was concluded.

12. Arguments have been heard from Mr.Anil Nag, learned counsel for the Union of India as well as Mr.Nobin Singh, learned counsel for the State of Manipur. Both the learned counsel have prayed for requisite declaration and confirmation of the notification dated 13.11.2005. (supra)

13. I have gone through the entire documentary evidence placed on record and have also examined the oral evidence adduced by the Union of India and the State of Manipur.

14. Sh. P. Doungel, Special Secretary (Home), Government of Manipur appeared as PW-1. He stated that the contents of his two affidavits were based on official records and information received from various departments of the Government of Manipur. He further stated that he is Special Secretary (Home) Govt. of Manipur and is dealing with the activities of the MEITEI Organizations namely People's Liberations (PLA), People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK), United National Liberation Front (UNLF), Kangleipak Communist Party (KCP)

and Manipur People's Liberation Front (MPLF). He admitted his signatures on the affidavit filed by him on 01-02-2006 as PW-1/A. He further stated that he has filed documents along with the affidavit namely copies of FIRs, documents seized from the members of the Extremists Organization and newspapers clippings. The copies of these documents are true copies of the records duly attested by Superintendent of Police, CID (Special Branch). He stated that he had been working with Superintendent of Police, CID (Special Branch) for the last some years and had seen him writing and signing the documents and letters etc. and identified his signatures.

15. He proved copies of the FIRs exhibited as PW-1/B (colly) from page 19 to 1769 and the List of FIRs exhibited as Ex.PW-1/C-1 to C-6 (colly) (page 1772 to 1788) and documents containing the details/synopsis of the crimes committed by this organization which are exhibited as Ex.PW-1/D-1 to D-6 (colly) (Page 1789 to 1862), the copies of the documents like literature, leaflets etc. seized from these organizations are exhibited as Ex.PW-1/E-1 to E-5 (colly) (page 1863 to 2096), the last documents are copies of the newspapers clippings in respect of these organizations which are exhibited as Ex.PW-1/F-1 to F-5 (colly) (page 2097 to 2128).

16. He further stated that he used to get the intelligence reports from other authorities like BSF, SIB, CRPF etc. After the receipt of such

reports from the concerned authorities some informations are passed on to the Central Government and some to the local police station for appropriate and necessary action. He deposed that the main objective of these organizations is to secede from the Union of India and to establish an independent country/state. In order to achieve their objectives these organizations indulge in killing, kidnapping, extortion of money etc. and they call for boycott of the National functions like Independence Day, Republic Day etc. In the event of a visit by officers/dignitaries like President of India, Prime Minister etc., they used to call for "Bandh" and they boycott the functions being organized in the name of such dignitaries and lay mines to blow them.

17. It is stated that if these organizations are not declared as unlawful associations', they may create more law and order problems like disturbing the functioning of the Government, running of the business, education etc. In view of the aforesaid, these organizations are required to be declared as unlawful associations. He prayed that his affidavit may be read as part of the evidence.

18. Sh. O. Madhumangol Singh has appeared as PW-2. He stated that he has filed his affidavit which is Ex.PW-2/A (colly) dated 18.2.2006 which bears his signatures. He prayed that his affidavit ot may be read as part of evidence.

19. Sh. Khundrakpam Dhaneshwor Singh has appeared as PW-3. He stated that he has filed his affidavit which is Ex.PW-3/A (colly) which

bears his signatures. He prayed that his affidavit of may be read as part of evidence.

20. Sh. A. K. Jhaljet Singh has appeared as PW-4. He stated that he has filed his affidavit which is Ex. PW-4/A (colly) which bears his singnatures. He prayed that his affidavit of may be read as part of evidence.

21. Sh. Ngangom Yaishkul Singh has appeared as PW-5. He stated that he has filed his affidavit which is Ex. PW-5/A (colly) which bears his signatures. He prayed that his affidavit of may be read as part of evidence.

22. Sh. W. Dhananjoy Singh has appeared as PW-6. He stated that he has filed his affidavit which is Ex. PW-6/A (colly) which bears his signatures. He prayed that his affidavit of may be read as part of evidence.

23. Sh. Elangbam Joy Singh has appeared as PW-7. He stated that he has filed his affidavit which is Ex. PW-7/A (colly) which bears his signatures. He prayed that his affidavit of may be read as part of evidence.

24. Md. Abdul Jalil has appeared as PW-8. He stated that he has filed his affidavit which is Ex.PW-8/A (colly) which bears his signatures. He prayed that his affidavit of may be read as part of evidence.

25. Md. Anuwar Hussain has appeared as PW-9. He stated that he has filed his affidavit which is Ex.PW-9/A (colly) which bears his signatures. He prayed that his affidavit of may be read as part of evidence.

26. Mr. R.R. Jha, Director, Ministry of Home Affairs also entered the witness box as PW-10. He tendered in evidence affidavits dated 27.1.2006 & 21.2.2006. The same are exhibited Ex.PW-10/A & 10/B. He stated that these MEITEI organizations have been engaging themselves in

various unlawful activities like killing of civilians and also extortion, kidnapping etc. He further stated that these organizations have a professed aim of secession of Manipur from India. He stated that the affidavits have been prepared on the basis of information furnished by Central Intelligence Agencies, Central Security Agencies and State Government of Manipur. He further stated that these MEITEI Extremists Organizations have contact with various underground organizations of North East such as ULFA (United Liberation Front of Asom), both factions of NSCN (National Socialist Council of Nagaland) etc., and have been boycotting Independence day celebrations and Republic Day Celebrations. They generate their funds mostly by extortion from civilians, kidnapping, abduction for ransom etc. He further stated that the activities of these organizations are still continuing and are also reported in the media and in this respect he tendered in evidence newspapers viz.,"The Sentinel" dated 25.3.2006 & The Indian Express, New Delhi dated 7.5.2006 & 31.1.2006 & 2.1.2006 & "The Sangai Express" dated 6.1.2006. The same are exhibited as Ex.PW-10/C, D & E, F & G respectively. He prayed that his affidavit may be read as part of evidence.

27. As already noted above, despite service of notice none of the MEITEI Extremist Organizations chose to appear at any stage of the proceedings. The evidence led, has, therefore, gone unrebutted.

28. Learned counsel for the Union of India and State of Manipur have highlighted the facts leading to the issuance of notification dated

13.11.2005 by the Central Government under sub section (1) of Section 3 as under :-

The State of Manipur is inhabited by Meitei tribes. The Meiteis are the numerically predominant community forming more than 66% of the total population and are concentrated in the Imphal valley. There are 29 tribes (mostly Nagas and Kukis) living in the hill areas. The valley area of Manipur is affected by insurgency of various Meitei extremist organizations, the major ones among them being the Peoples' Liberation Army (PLA), Revolutionary Peoples' Front (RPF), United National Liberation Front (UNLF), Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK), Kangleipak Communist Party (KCP), Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF). The hill areas are affected by the activities of Naga extremists belonging to the National Socialist Council of Nagaland (NSCN) and Kuki extremists.

29. The Meitei Extremist Organizations have been responsible for a number of violent incidents and armed lootings in which a large number of civilians and police personnel have lost their lives. The extremists have also been looting money from banks and extorting huge amounts of money from businessmen, traders, other civilians and even Government employees. Violent activities of Meitei extremists had acquired serious dimensions and the Imphal valley was declared as 'disturbed area' under

the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 from September 8, 1980. Combing operations by the Security Forces and Police were launched. Four Meitei Extremist Organizations, namely, PLA, UNLF, PREPAK, and KCP, which were indulging in unlawful acts of violence, including murder, looting, intimidation, etc, mostly in the valley areas of Manipur State in furtherance of their objective of "liberation of Manipur, were declared as 'Unlawful Associations' under Section 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 first on 26th October, 1979. MPLF was declared as an "Unlawful Association" on 13th November, 1999 alongwith other Meitei Extremist Organizations.

30. The last but one Notification was issued vide S.O.1302 (E), dated 13.11.2003. A reference was made under sub-section (1) of Section 4 of the Unlawful Activities (Prevention) Act to the Tribunal consisting of Hon'ble Mr.Justice C.K.Mahajan, Judge, Delhi High Court and the learned Tribunal had confirmed the notification dated 13.11.2003 issued by the Government of India.

31. It is highlighted by both the learned counsel that the Meitei Extremist Organizations continue to propagate secession from India. Their declared objective is formation of an independent Manipur by secession of Manipur State from India. These outfits have been engaging with armed means to achieve their objectives. The security forces remain their prime target. These outfits have also been indulging in acts of

intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds for their organizations. They have also been making efforts to establish contacts with sources abroad for influencing public opinion and for securing their assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their secessionist objective.

32. The details of violent incidents by these militant organizations are given below :

Year	*Total No. of Incidents*	*Killed*	*Killed*
		Persons	*Security Forces*
1999	230	138	63
2000	185	116	41
2001	190	69	18
2002	172	77	34
2003	172	70	23
2004	262	80	37
2005 (up to 15 November, 2005)	208	77	35

33. Every year, these outfits have been boycotting celebrations of National Days like Republic and Independence Day. Besides violence, they are also indulging in extortions from general public, siphoning of Central Government funds meant for the development of the State by way of intimidating contractors, bureaucrats and political figures of the State. Moreover these UG outfits continue giving support to parochial Meitei Organizations to organize agitational programme on various issues including the protection of territorial integrity of Manipur. The agitations launched by the Meitei outfits have widened the rift between different communities in the State.

34. The UNLF had appealed to the people of Manipur to boycott the 14th Lok Sabha Elections held in April-May, 2004. MPLF had proposed a general strike on the 15th October, 2004 to protest the alleged forcible merger of Manipur with the Indian Union 55 years back and observed National Black day on the 15th October, 2004. The MPLF also called for 12 hours general strike against the military offensives launched by the Royal Bhutan Army against the Kamtapur Liberation Organization (KLO), the National Democratic Front of Bodoland (NDFB) and the United Liberation Front of Assam (ULFA) in Bhutan. As in previous years, MPLF and some other North East based underground organizations had boycotted independence Day Celebrations on August 15, 2005.

35. During the Republic Day Celebrations on 26th January, 2005 UNLF had called for general strike and boycott of the Republic Day celebrations. UNLF exploded two improvised Explosive Devices (IED) using remote control on the 26th January, 2005. The KYKL Rifles Patrol Party and seriously injuring several others in an ambush at Kumbi Lierak Achouba on 16th February, 2005.

36. The Meitei Extremist Organizations maintain close links with each other and also with other extremist organizations in the North East. PLA/RPF is maintaining close links with Issac-Muivah faction of the National Socialist Council of Nagaland (NSCN). UNLF is maintaning contacts with the Khaplang faction of NSCN as well as the Kuki National

Army. KYKL draws its support from KCP, PREPAK and UNLF (Oken faction). UNLF is also a signatory to the Indo-Burma Revolutionary Front (IBRF) formed in 1990 by ULFA and NSCN (K). The aim of IBRF was to jointly fight the Indian Security Forces. Though IBRF has not been very effective, it has provided training to the cadres of UNLF and ULFA. KYKL and IBRF are umbrella organizations offering platform to insurgent groups for cooperation in operational matters.

37. PLA/RPF, UNLF, PREPAK, KCP and KYKL have camps in neighbouring countries, viz. Bangladesh and Myanmar. They are procuring arms and ammunitions from these countries besides China and Thailand. Members of these extremist organizations are continuing their secessionist and violent activities. They also continue to make efforts to establish and sustain contacts with foreign elements with a view to securing assistance for their unlawful activities. The entire evidence remains unchallenged.

38. It is argued that justification for declaration of the Meitei Extremist Organizations of Manipur as Unlawful Associations' with immediate effect is that Meitei Extremist Organizations are extremely active and, it was felt that if there was any gap between the earlier notification and the issue of a fresh notification, these associations may take undue advantage of the situation and mobilize their cadres for escalating secessionist, subversive, terrorist and violent activities. It may also provide an opportunity to the leadership of these organizations to

openly propagate anti-national activities in collusion with foreign powers inimical to India's security interests. The Police and Security Forces, in such an eventuality, will find it difficult to detain and prosecute those who may be apprehended by them. It was, therefore, considered necessary to give effect to the notification from the date of its publication in the Official Gazette.

39. In view of the above, further declaration of the Meitei extremist organizations of Manipur as 'Unlawful Associations' under section 3 (1) read with proviso to section 3 (3) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was considered necessary after the expiry of the validity of the previous Notification. The learned counsel argued that the Meitei Extremist Organizations of Manipur have been declared as 'Unlawful Associations' w.e.f. 13.11.2005 under sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and the declaration has been given immediate effect from the date of publication of the Notification in the Official Gazette under sub section (3) of section 3 of the said Act. A copy of the Notification SO 1594 (E) dated 13.11.2005 issued in this regard is on the file.

40. The evidence produced as discussed above is specific and quite voluminous. It gives details of hundreds of cases registered and crimes committed. All this evidence remains unrebutted. The requirement of natural justice has been duly complied with inasmuch as notices were

duly served on the MEITEI Organizations of Manipur, as stated in para 4 herein above, to participate in the proceedings but despite service the MEITEI Extremist Organizations chose not to put in appearance at any stage of proceedings.

41. The previous Tribunals on consideration of material had declared the activities of the said organization as unlawful from time to time. The grounds, on which the said associations were declared unlawful, were almost exactly the same as at the time of notifications dated 13.11.2003 and 13.11.2005. The latest notification has been referred to this Tribunal for adjudication whether on the basis of the material on record there was sufficient cause for declaring the MEITEI Extremist Organizations as unlawful associations.

42. Inspite of the notices having been served on the banned organizations as detailed above, the MEITEI Organizations did not appear. Therefore, there is no evidence in rebuttal to the material placed by State of Manipur and Union of India before this Tribunal.

43. Both the learned counsel have submitted that the materials placed before the Tribunal and the statements of the witnesses establish that the activities of these organizations are unlawful in terms of Section 2 (o) of the Act and the said associations are unlawful in terms of Section 2 (p) of the Act. It is argued that the systematic acquisition of arms, extortions, killings, objective of establishment of an independent

sovereign State leave no doubt that the manifest intention of the MEITEI Organizations is to disrupt the territorial integrity and sovereignty of India. It is submitted that there is conspiracy of waging war against India with other banned organizations. Hundreds of FIRs in 5 volumes during the relevant period have been pointed out, further details in 6th Volume are brought out, affidavits, other documents, newspaper clippings, pamphlets and threatening letters prima facie depict the scenario of extortions, recruitment of cadres, raising separate armies, armed ambushes, killings, parallel administration on regular Government lines and open call for a separate country. It is further submitted that the said organizations have no faith in the Constitution of India and they want to secede from Union of India. Their activities of acquiring arms and demand of separate State are against the territorial integrity and sovereignty of India. The material published by MEITEI Organizations is objectionable and its aim is to spread mis-information and disaffection against India.

44. All this evidence and contentions of learned counsel for the Union of India and the State of Manipur remained uncontested. The grounds for declaring all the said organizations as unlawful associations remain unchallenged and un-controverted and the proceedings have remained ex parte.

45. Considering all the facts and circumstances, the un-controverted voluminous evidence, contentions and un-rebutted arguments of the learned counsel for the Union of India and the learned counsel for the State of Manipur, it stands established that there is sufficient cause for declaring MEITEI Extremist Organizations viz.(i) The People's Liberation Army (PLA), (ii) Revolutionary Peoples' Front (RPF), (iii) United National Liberation Front (UNLF), (iv) Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing the "Red Army", (v) Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing also called the "Red Army", (vi) Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and (vii) Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF) as unlawful associations vide notification No.S.O. 1594 (E) dated 13.11.2005, and the said notification is hereby confirmed.

The reference stands answered in the terms mentioned above.

J. P. SINGH, J.
Unlawful Activities (Prevention) Tribunal

May 12, 2006

[F. No. 11011/46/2005-NE. III]
RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.